परामर्श -13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001

एफ. सं. ए-11018/ 01/ 2021-सीएक्यूएम –वॉल्यूम –VI-756 **दिनांक: 14.O2.2024**

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

विषय – सड़कों, केन्द्रीय किनारों, रास्तों, खुले क्षेत्रों के किनारों के साथ धूल का शमन

महोदय,
यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों ,केन्द्रीय किनारों , रास्तों /किनारे के फुटपाथ और खुले क्षेत्रों से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और पी एम 10 और पी एम 2.5 के स्तर में पूरे वर्ष, विशेष रूप से गर्मियों में प्रतिकूल योगदान देता है |

2. सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रबंधन: -

यह स्वीकार करते हुए कि सड़कों और खुलें क्षेत्रों से निकलने वाली धूल क्षेत्र में ख़राब वायु गुणवत्ता के लिए योगदान देती है, सड़क निर्माण परियोजना में विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों की देख रेख और कार्यान्वयन और सड़कों व् खुले क्षेत्र के रखरखाव के लिए आयोग ने एनसीआर में सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों को परामर्शी के बाद निर्देश जारी किया कि "धूल नियंत्रण प्रबंधन प्रकोष्ठ"(डीसीएमसी) स्थापित किये जाएँ |

पूरे एनसीआर में अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गतिविधियों पर केन्द्रित 62 डीसीएमसी को निर्देश दिए गए :-

(i) विशेषत: सड़क / फ्लाई ओवर / ब्रिज और सम्बंधित निर्माण परियोजनाओं में पर्याप्त संख्या में एंटी स्मोग गनों की तैनाती
(ii) सड़क साफ़ करने वाली मशीनों का अधिकतम उपयोग
(iii) एकत्रित धूल का निर्दिष्ट स्थल / लैंडफिल में वैज्ञानिक निपटान
(iv) मशीन से सफाई के बाद विशेषत: धूल दबाने के लिए सड़क / आर ओं डब्लू पर पानी का छिड़काव
(v) मशीनी कृत सफाई और छिड़काव की क्षमता में बढोतरी
(vi) उचित ढंग से रखरखाव और गड्ढा मुक्त सड़कें

3 सड़कों, ब्रिज, राजमार्गों आदि सहित अधिकतर बुनियादी ढाचा विकास गतिविधियाँ आदि को आउट सोर्स किया जाता है । इस प्रकार ऐसी परिसम्पतियों का नियमित रखरखाव भी आमतौर पर आउट सोर्स किया जाता है | इस प्रकार यह जरुरी हो जाता है कि इस सन्दर्भ में जारी किये गए वैधानिक निदेश, नियम और

दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन प्रभावी ढंग से निचले स्तर पर कार्यपालक एजेंसियों के माध्यम से निविदा/अनुबंध/समझौता आदि में उचित प्रकार से शामिल करके किया जाये |

4. एन सी आर राज्य सरकारें / एन सी टी –दिल्ली की सभी सम्बंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा स्थापित धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ट (डी सी एम सी) तदनुसार सुनिचित करें कि इस क्षेत्र में सभी निविदा सूचना अनुबंध कागजात, समझौतों आदि में उपरोक्त पैरा 02 में सूची बद्ध दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपायों को एसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावी धूल शमन के अनुपालन में लागू किये जाए जो कि धूल उत्सर्जन के प्रति अत्यधिक सम्वेदनशील होने के कारण वायु गुणवत्ता के प्रतिकूल हैं | ये एजेंसियाँ अनुबंधों में गुणवत्ता मानक निर्धारित कर सकती है और इन प्रावधानों में उचित दंड के प्रावधान रख सकती हैं | गैर अनुपालन के लिए पर्यावरण मुआवजा भी लगाया जा सकता है | परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान नियमित निरीक्षण भी किया जायेगा और इस सम्बन्ध में धूल नियंत्रण नियम / दिशा निर्देश और निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

5. ऐसी एजेंसियों की सूची जिनके लिए यह सलाह अंकित है, संपूर्ण नहीं है और राज्य सरकारों/ जीएनसीटी दिल्ली द्वारा भी ऐसी परियोजना को मंजूरी देने वाली और निष्पादित करने वाली एजेंसियां को भी उचित सलाह दी जाएगी कि धूल के उच्च स्तर में सुधार करने और एन सी आर में वायु गुणवत्ता से सम्बंधित सरोकारों के लिए उपरोक्त उल्लिखित नियम/दिशानिर्देश/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें |

ह०
(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव
ईमेल: arvind.nautival@gov.in

प्रतिलिपि:
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार.
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार.
मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार.
अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव

एफ. सं. ए-11018/ 01/ 2021-सीएक्यूएम –वॉल्यूम –VI

एनसीआर में नोडल एसेनक/डीसीएमसी की सूची

दिल्ली | उत्तर प्रदेश (एन सी आर)

क्रम.	विभाग/एजेंसी	क्रम.	विभाग/एजेंसी
1.	नगर निगम दिल्ली (एमसीडी)	1.	नगर पालिका परिषद, खुर्जा
2.	2 नई दिल्ली म्युनिसिपलनिगम (एनडीएमसी) जे दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)	2.	लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएसआरआरडीसी)	3.	जे मेरठ नगर निगम
4.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएसआरआरडीसी)	4.	नगर पालिका परिषद, बागपत
5.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)	5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)
6.	लोक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी)	6.	एनएचएआई मेरठ
7.	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)	7.	नोएडा प्राधिकरण
8.	केंद्रीय लोक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	8.	मैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज़ देव अधिकार
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण (एनएचएआई)	9.	ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण
10.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एवं एफसीडी)	10.	नगर पालिका परिषद दादरी
11.	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	11.	मुजफ्फरनगर विकास अधिकार
12.	राष्ट्रीय परिवहन एलएनसीआरआरसी) राजधानी क्षेत्र निगम	12.	नगर पालिका परिषद शामली
		13.	गाजियाबाद नगर निगम
		14.	गाजियाबाद विकास अधिकार
		15.	नगर पालिका परिषदमोदी नगर
		16.	यूपीएसआईडीए, गाजियाबाद

		17.	नगर पालिका परिषद्, जीजेडबी
		18.	नगर पालिका परिषदहापु

एफ. सं. ए-11018/ 01/ 2021-सीएक्यूएम –वॉल्यूम –VI

हरियाणा (एन सी आर) राजस्थान (एन सी आर)

क्रम.	विभाग/एजेंसी	क्रम.	विभाग/एजेंसी
1.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (एच एस वी पी)	1.	आरआईआईसीओ, भिवाड़ी यूनिट –I
2.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2.	आरआईआईसीओ, भिवाड़ी यूनिट –II
3.	लोक निर्माण (बी एंड आर) और वास्तुकला विभाग	3.	आरआईआईसीओ, भरतपुर
4.	हरियाणा राज्य आधारभूत संरचना औद्योगिक एवं विकास निगम	4.	आरआईआईसीओ, अलवर
5.	राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण।	5.	आरआईआईसीओ, नीमराना
6.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	6.	आरआईआईसीओ, घिलोथ
		7.	नगर निगम भरतपुर
		8.	नगर निगम अलवर
		9.	नगर निगम भिवाड़ी
		10.	यूआईटी, अलवर
		11.	यूआईटी, भरतपुर
		12.	पीडब्लूडी, अलवर
		13.	पीडब्लूडी, भरतपुर
		14.	पीडब्लूडी, भिवाड़ी